कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F-12( )Sales/Allot/2023-24/9114 दिनांक : 23/5/23

विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में बजट घोषणा के अन्तर्गत बिन्दू संख्या 229 वर्ष 2010-11 अनुसार पत्रकारों के आवासीय समस्या के समाधान हेतु पत्रकारों को भूखण्ड् आवंटन हेतु पात्र पत्रकारों की लॉटरी न्यास द्वारा दिनांक 16-05-2023 को नीकाली गई। जिसमें कुल 112 पत्रकारों को भूखण्ड् आवंटित किये गये है।

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 20-10-2010, दिनांक 22-02-2013, दिनांक 29-04-2013 एवं दिनांक 02-02-2023 में अंकित शर्तोनुसार उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन से दिनांक 12-06-2023 तक परिवचन एवं शपथ पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत करे ताकि आवंटन करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। शपथ पत्र व परिवचन पत्र का प्रारूप नगर विकास न्यास की वेबसाईट www.uitudaipur.org पर उपलब्ध है।

(नितेन्द्र पाल सिंह)
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

क्रमांकः F-12( )Sales /Allot/2023-24/
प्रतिलिपिः–
दिनांक :

1– लेखा शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को राज्य सरकार प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 14–03–2022 द्वारा जारी आदेश के कम में उक्त आम–सूचना का दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन कर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति शाखा में भिजावें।

2- IT, शाखा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करे।

सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

Stamp RS 100/-

परिवचन–पत्र

मैं .... पुत्र श्री ....

उम्र .... जाति .... व्यवसाय .... निवासी का

पता ....

.... उदयपुर, राजस्थान होकर निम्नलिखित परिवचन

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में करता हूं कि :–

1. मैं, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पक्ष में परिवचन देता/देती हूं कि मैंने पूर्णकालिक सक्रिय पत्रकार की हैसियत से पत्रकार कोटे के तहत भूखण्ड आवंटन हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में आवेदन किया है तथा मेरी आजीविका का मुख्य साधन पत्रकारिता होकर मैं, भूखण्ड आवंटन करने की स्थिति में एतद् द्वारा परिवचन देता/देती हूं कि आवंटन की तिथि से 2 वर्ष के भीतर न्यास से विधिवत् निर्माण स्वीकृति लेकर स्वीकृत प्लान अनुसार निर्माण करा लूंगा/लूंगी तथा ऐसे निर्मित भवन पर आवासीय से भिन्न किसी प्रकार की व्यावसायिक/वाणिज्यिक या अन्य गतिविधयां नहीं चलाऊंगा/ चलाऊंगी।
2. मै, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पक्ष में परिवचन देता/देती हूं कि आवंटित भूखण्ड को 10 वर्ष तक किसी भी सूरत में या किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करुंगा/करुंगी।
3. मैं, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पक्ष में परिवचन देता/देती हूं कि आवेदन पत्र के दर्शाई गई शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भी शर्ते जो राज्य सरकार व न्यास द्वारा लगाई जाऐगी, उनकी पूरी तरह से पालना करुंगा/करुंगी। नगर सुधाार अधिनियम, 1959 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों,

क्रमशः पेज 2 पर

उपनियमों, न्यास तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों, परिपत्रों तथा इनके समय–समय किए जाने वाले संशोधनों इत्यादि की मैं पूर्णतया पालना करुंगा/करुंगी।

4. मैं, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पक्ष में परिवचन देता/देती हूं कि उपरोक्त परिवचत पत्र में वर्णित किसी भी बात के उल्लंघन की दशा में, आवंटन पत्र में निर्देशित पात्रता की शर्तों में से किसी एक के भी उल्लंघन की दशा में या आवेदन पत्र/शपथ पत्र में वर्णित किसी भी तथ्य के गलत पाए जाने या उनके उल्लघंन की स्थिति में मुझे किया गया आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। एवं भूखण्ड या उस पर किया गया निर्माण यदि कोई है तो वो बिना किसी प्रतिकर के वापस लिया जा सकेगा, जिसमें मेरी किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। मैं यह परिवचन देता/देती हूं कि इस परिवचन पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में मुझे किया गया आवंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा मौके पर से मुझे या मेरी ओर से अन्य किसी अधिभोगी को कब्जे से बिना किसी अतिरिक्त सुनवाई के बेदखल कर दिया जा सकेगा।

स्थान : उदयपुर

दिनांक : .... हस्ताक्षर शपथग्रहिता

परिवचन कर्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पिता/पति का नाम ....

निवासी/डाक का पता ....

.... पिन कोड ....

सत्यापन

मैं .... पुत्र श्री .... उम्र .... जाति .... व्यवसाय .... निवासी का पता .... उदयपुर, राजस्थान होकर उपरोक्त परिवचन पत्र में दोहराते हुए इनके पालन के प्रति वचनबद्ध होकर स्वीकार करता हूं।

स्थान : उदयपुर

दिनांक : .... हस्ताक्षर शपथग्रहिता

परिवचन कर्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरो में) ....

पिता/पति का नाम ....

निवासी/डाक का पता ....

.... पिन कोड ....

Stamp RS 100/-

शपथ – पत्र

मैं .... निवासी – .... आयु–बालिग शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती कि:–

1– मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मैं राजस्थान का मूल निवासी होकर उदयपुर शहर में आवेदन करने की दिनांक से 5 वर्ष पूर्व से पत्रकार के रूप में पत्रकारिता का कार्य कर रहा हूँ तथा वर्तमान में भी पत्रकार के रूप में निरन्तर कार्य कर रहा हूँ। पुष्टि स्वरूप नियोक्ता का प्रमाण–पत्र एवं वेतन प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2– मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि यह आवंटन छलपूर्वक या तथ्यों को छिपाकर या गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर प्राप्त किया है तो यह आवंटन बिना किसी अतिरिक्त सुनवाई के निरस्त किया जाता हैं तो मुझ कोई आपत्ति नहीं हैं।

3– मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस श्रेणी के अन्तर्गत मेरे द्वारा जीवनकाल में पहले कभी भी रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन नहीं हुआ हैं।

4– मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा राजस्थान का मूल निवासी हूँ मेरे द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी हैं कि प्रति, आधार कार्ड, आय प्रमाण–पत्र, पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की जा रही हैं।

5– मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी विज्ञप्ति में वर्णित पात्रता को पूर्ण करता हूँ। पश्चावर्ती की जॉच में यदि यह पाया जाता हैं कि मेरी पात्रता को लेकर किसी प्रकार की कमी पाई जाती हैं तो किसी भी स्तर पर उक्त भूखण्ड़ का आवंटन राज्य सरकार/न्यास द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इस पर किये गये किसी भी विकास कार्य की क्षति–पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखुगॉ।

6– मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि राजस्थान के किसी भी राज्य की जनसंख्या 50000 आबादी क्षेत्र, कस्बे/शहर में किसी प्रकार का मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों के नाम भूखण्ड़/मकान नहीं हैं।

दिनांक :–   हस्ताक्षर शपथगृहिता

सत्यापन

मैं .... निवासी – .... आयु–बालिग शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र की कलम संख्या 1 से अन्त तक मेरी निजी ज्ञान एवं विश्वास में सही व सत्य है। जिससे मैं सदैव बाध्य रहूगॉ/रहूगी।

हस्ताक्षर शपथगृहिता